

नहीं दिया गया। समय दिया जाकर
पत्रावली आपदा दिनांक 10-8-2021 को पेश हो।
(य)

10/8/2021

पत्रावली आज पेश हुई। अपीलानुस वकील
उपस्थित। रैस्योडेंट्स की ओर से वाद
लामिल नोटिस कोर्टी उपस्थित नहीं। रुक-
रुक कर तीन बार भावाज खिलाई गई।
कोर्टी उपस्थित नहीं होने पर रुकके
विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाती है।
अपीलानुस वकील की बहस सूनी गरी।

पत्रावली व संलग्न दस्तावेज का अध्ययन
किया। बहस के तथ्यों पर मबन किया
हस्तागत प्रकरण में अपीलानुस को ठेक से
जुद्ध लेने हेतु हल्का परवारी से सम्पर्क करने
पर दिनांक 18-01-2021 को उच्च फौजदगी प्रदेश
में नाम सही इन्तज होने की जानकारी हुई
व अपीलानुस गम्भीर परिस्थिति में रहने वाले
अनपढ़ व्यक्ति है। गाम पंचायत धामतीन द्वारा
आ.क संख्या 313 स्वीकृत करते समय अपीलानुस
को सुनवारी का अवसर नहीं दिया गया जो
शकतिक न्याय सिद्धान्त के विपरीत होने से अपीलानुस
द्वारा प्रस्तुत धारा 5 न्याय अधिनियम का अर्थना
पर स्वीकार किया जाता है तथा विलम्ब की
आप्य किया जाता है। अपीलानुस की
अंदाज न्याय श्रमा की जाती है पत्रावली
केसल श्रमा होकर नम्बर से कम है। निर्णय
सो रजलास सूनाया गया।

(य)
अधीक्षक अधिकारी